न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:– 08.06.2017

मुकदमा नं0 53/2017
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

1. रामसिंह
2. दलसिंह
3. विजयसिंह
4. मगन

पिसरान चौथी जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

5. कैलाशी पुत्र चौथी जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन
6. मोहरबाई पुत्री चौथी जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन
7. विशेष कुमार पुत्र श्री भीमसिंह
8. स्वेता पुत्री भीमसिंह
9. अमीशा पुत्री भीमसिंह

नावालिगान जरिये मॉ धर्मो बेबा भीमसिंह जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली

10. धर्मो बेबा भीमसिंह जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन – सायलान

बनाम

1. यूनियन ऑफ इण्डिया, जरिये महाप्रबधक भारतीय पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर (मध्य प्रदेश)
2. सीनियर डिवीजन इंजीनियर कार्यालय पश्चिम रेल्वे कोटा
3. सीनियर सैक्शन इंजीनियर कार्यालय रेल्वे स्टेशन बयाना जिला भरतपुर
4. स्टेशन अधीक्षक, रेल्वे स्टेशन फतेहसिंहपुरा (सूरौठ) तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान—————————————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः– 1. श्री सरदीलाल चौधरी एडवोकेट सायलान
2. श्री आर.के. मिश्रा एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :– 26.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इ[illegible] है कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध [illegible] के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने [illegible] बाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय अदालत के समक्ष पेश कर दिया है। जिसमें सायलान [illegible] सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.37 है0, 1264 रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज आराजीयात सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है, जिसमें सायलान नं01 लगायत 6 का बहिस्सा 6/7 व वादीगण नं0 7 लगायत 10 का 1/7 हिस्सा है। इस प्रकार सायलान उक्त आराजीयात के सम्पूर्ण रकबे के खातेदार काश्तकार हैं व सायलान ही जमाना बुजुर्गान से कब्जा कर काश्त करते चले आ रहे हैं, अन्य किसी व्यक्ति या गैरसायलान का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज आराजीयात के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1260 रकबा 0.08 है0 व खसरा नम्बर 1261 रकबा 0.10 है0 स्थित है, जो वर्तमान में गैर मुमकिन रेल्वे लाईन के रूप में दर्ज है। गैरसायलान भारतीय रेल्वे के प्रतिनिधि है व उक्त आराजीयात पर रेल्वे की हैसियत से काबिज है, इस कारण इनको पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि घटना दिनांक 06.06.2017 को दिन के 12 बजे की है कि गैरसायल सं03 अपने साथ 15–20 लेबरों को लेकर सायलान के खसरा नम्बर 1258 व 1264 पर आया व आते ही सायलान की खेत में गड्ढे खुदवाने लगा, सायलान ने कहा कि आप हमारे खेत में गड्ढे क्यों खुदवा रहे हो तो गैरसायल सं03 नाराज हो गया व कहने लगा कि यह जमीन रेल्वे की है, इसलिए इसमें गड्डे खोदकर पिलन बनाये जावेंगे व पत्थर से चार दीवारी की जावेगी। इसलिए दीवाल के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। सायलान ने मना किया व कहा कि साहब यह जमीन तो हमारी खातेदारी की जमीन है। रेल्वे की नहीं है। यदि आप हमारे खेतों को रेल्वे की चारदीवारी में लेंगे तो हमारे कानूनी अधिकारों का हनन होगा व हम गरीब किसान आदमी है। हमारे बच्चों के सामने भरण पोषण की समस्या पैदा हो जावेगी। लेकिन गैरसायल सं03 नाराज हो गया और कहने लगा कि हमको तो उपर से हमारे अधिकारियों के आदेश है, इसलिए हम तो आप सायलान के खसरा नम्बर 1258 व 1264 को हमारी रेल्वे की भूमि खसरा नम्बर 1260 व 1261 में मिलाकर पक्की दीवाल बनायेंगे। सायलान द्वारा काफी अनुनय विनय करने पर भी गैरसायलान अपनी उक्त कुचेष्टा करने के लिए उतारू हैं। सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को गैरसायलान अपनी रेल्वे की जमीन में मिलाने पर आ[illegible]। यदि गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त की भूमि को अपनी भूमि में [illegible] चार दीवारी बना दी तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं हो सकेगी। इसलिए गैरसायलान के इन कुचेष्टाओं को रोकने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि उक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टी0आई0 पाबन्द किया जाना आवश्यक है। यदि पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द किया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सायल को आराजीयात खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.37 है0, 1264 रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम सूरौठ के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। सायलान की उक्त भूमि को अपनी रेल्वे की भूमि में नहीं मिलावें, कोई गड्ढे आदि सायलान की भूमि में नहीं खोदे। सायलान की भूमि में कोई गड्ढे आदि खोदकर पिलर बनाकर पक्का निर्माण दीवार, बाउण्ड्रीवाल आदि नहीं करें। सायलान की उक्त भूमि के किसी भाग में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाद तामील गैरसायलान की ओर से श्री आर.के. मिश्रा एडवोकेट उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद नं01 प्रार्थना पत्र के मद नं01 में वर्णित तथ्य सायलान द्वारा दावा पेश करना स्वीकार है, शेष इबारत गलत होने से स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं02 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन में होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं03 जिस तरह तहरीर है गलत है, स्वीकार नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.13 है0, 1264 रकबा 0.33 है0 कुल रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम सूरौठ रेल्वे विभाग की अवाप्तशुदा भूमि है जो वर्ष 1963 में रेल्वे विभाग को अवाप्त करके कब्जा प्राप्त किया था तथा उक्त भूमि का अवार्ड भी [illegible] जारी किया गया था। हाल सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिनांक 16.[illegible] खसरा नम्बर 438 हैं, जो रेल्वे के नक्शा खसरा नम्बर 1258, 126[illegible] प्लान के टी.टी.19 (ए)एल.बी.डी. में दर्ज है। इस प्रकार सायलान का यह कथन कि उक्त भूमि उनके खातेदारी की भूमि [illegible] है। क्योंकि यह भूमि 1963 में ही रेल्वे विभाग द्वारा अवाप्त की गई है तथा रेल्वे की ही खातेदारी एव कब्जे में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व कागजातों में इन्द्राज रेल्वे विभाग के नाम नहीं करने के कारण सायलान की खातेदारी में दर्ज हो रही है, जो गलत है, जिसकी दुरूस्ती हेतु पृथक से कार्यवाही रेल्वे विभाग द्वारा की जावेगी।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं04 में खसरा नम्बर 1259 व 1264 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1260 व 1261 होना स्वीकार है। उक्त भूमि भी रेल्वे की खातेदारी में होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं05 में वर्णित तथ्य पूर्णतः गलत है तथा स्वीकार नहीं है। दिनांक 06.06.2015 को गैरसायल नं03 अपनी लेवरों को लेकर खसरा नम्बर 1252 व 1264 में नहीं गये। समस्त तथ्य मनगढन्त एवं बनावटी लिखे गये हैं जो गलत है तथा स्वीकार नहीं है। सायलान को कोई अधिकार नहीं है कि वे गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं06 गलत है स्वीकार नहीं है। सायलान का कोई अपूर्णीय क्षति नहीं है और ना ही सायल के पक्ष में कोई सुविधा का सन्तुलन है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं07 गलत है स्वीकार नहीं है। सायलान का प्राईमाफेसी केस किसी तरह साबित नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र टी.आई. में चाहा गया अनुतोष पूर्णतः गलत है स्वीकार नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र टी.आई. विरूद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071से 74, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल खसरा नम्बरान, पेश किये है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने फोटो प्रति नक्शा प्लान प्रमाणित वर्ष 1970, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। सायला अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस का मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071से 74

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.37 है0, 1264 रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी रामसिंह दलसिंह विजयसिंह पि0 चौथी कैलासी मोहरबाई पुत्री चौथी हि0 बराबर हि0 6/7, विशेष कुमार पुत्र भीमसिंह स्वेता अमीशा पुत्री भीमसिंह नाबालिग व विलायत माता धर्मो, धर्मो पत्नि स्व0 भीमसिंह हि0ब0 हि01/7 जाति मीना निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत फोटो प्रति नक्शा प्लान प्रमाणित वर्ष 1970 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 438 रेल्वे विभाग द्वारा अवाप्त की गई भूमि को दर्शाया गया है अर्थात गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत नक्शा प्लान प्रमाणित वर्ष 1970 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 438 रेल्वे विभाग की अवाप्तशुदा भूमि है, जिसको नक्शा प्लान में दर्शाया हुआ है तथा फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 438 के दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.37 है0, 1264 रकबा 0.33 है0 कायम किये गये हैं किन्तु उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी वर्तमान में सायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.37 है0, 1264 रकबा 0.33 है0 ग्राम सूरौठ सायलान की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है किन्तु गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत नक्शा प्लान वर्ष 1970 एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 438 ग्राम सूरौठ से हाल खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.37 है0, 1264 रकबा 0.33 है0 कायम किये गये हैं जो रेल्वे की भूमि होना प्रतीत होता है। ऐसे हालात में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना है जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किये जाने पर सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की कोई सम्भावना नहीं है। सुविधा का सन्तुलन एवं प्राईमाफेसी के सायलान के पक्ष में न होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.37 है0, 1264 रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:51 IST
Reason: SelfAttested

26.02.21
उपखण्ड अधिकारी,
हिण्डौन जिला करौली

Scanned by CamScanner